Regularisation of unauthorised colonies in Delhi

1093. SHRIMATI SURYAKANTA PATIL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in a Hindi daily 'Nav Bharat Times' dated 31st May, 1990 under the caption "Anadhikrit Bastion Ka Dard" regarding regularisation and providing basic amenities in unauthorised colonies in the capital;

(b) if so, the action being taken to regularise the remaining colonies and what steps Government propose to take to stop such unauthorised constructions; and

(c) what action is being taken against officials responsible for such unauthorised colonies?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir. Civil amenities are being provided in the unauthorised colonies which came up before June, 1977 and which have already been regularised. Delhi Administration has also decided to supply drinking water and electricity in unauthorised colonies which came up later and were in existence as on 1-1-1981, on payment of development charges by he beneficiaries. However, at present, there is no decision for regularisation of the colonies which had come up after June, 1977.

(b) and (c) Coming up of unauthorised colonies despite efforts by public agencies at dealing with unauthorised constructions and encroachment under the law, is largely the result of socio-economic compulsions created by heavy influx of population into Delhi, and the human angle involved in any drastic action at mass scale.

Regional development through the mechanism of the National Capital Region Plan is a step taken by the Government towards solving this problem.

खाद्य तेलों का उत्पादन और खपत

1094. **डा. रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में खाद्य तेलों के उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या खाद्य तेलों की खपत उनके उत्पादन से अधिक है; यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) योजना आयोग की प्रायोजना के अनुसार देश में तेल वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्य तेलों की खपत (मांग) और उत्पादन का अनुमान क्रमशः 60.26 लाख मी० टन तथा 48.68 मी० टन है।

इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, इसके अतिरिक्त उन्नत बीज, पौधा संरक्षण, सिंचाई और प्रौद्योगिकी के विस्तार जैसे कांतिक निवेश उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता सहित तिलहन उत्पादन और उत्क्रम कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना ;

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के माध्यम से उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन ;

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तीव्र करना;

(5) अपरम्परागत तिलहन फसल जैसे सायाबीन और सूरजमुखी क्षेत्रों में वृद्धि और वृक्षों के तिलहनों तथा वन मूल, चावल की भूसी आदि का शोषण क्षत वर्द्धन;

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति बनाए रखने के लिए संसाधन और कच्चे सामान की सुविधायें जुटाना;

(7) तिलहनों के उत्पादन पर प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापित किया जाना;

(8) अपरम्परागत स्रोतों से तेलों के बढ़े हुए उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।

तूफान पीड़ित किसानों को सस्ती दर पर जिप्सम देना

1095. **श्री शांति त्यागी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री द्वारा वायदा करने के बावजूद आन्ध्र प्रदेश में तूफान पीड़ित किसानों को सस्ती दर पर जिप्सम खाद नहीं मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार अपने वायदे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) और (ख) प्रधान मंत्री और भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री ने सस्ते दामों पर जिप्सम सप्लाई कराने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह विशाखापत्तनम से राज्य के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों को जिप्सम की ढुलाई रेल भाडे के बगैर करवा दे। तथापि, रेल मंत्रालय सामान्य भाड़ा शुल्क की अदायगी पर जिप्सम के ढुलान के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेक्स उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया था। 11, 12 और 13 जून, 1990 को विशाखापत्तनम से जिप्सम के तीन रेक्स भेजे गये थे।

Investigation into import of Phosphoric Acid

1096. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the investigating agencies going into the deal of import of three lakh tonnes of Phosphoric Acid from a Moroccan Firm have since finalised their report; if so, what are the findings thereof and action taken so far in the matter;

(b) if the reports have since not been received, by when these are likly to be submitted to Government; and

(c) what aspects of the deal have been under investigation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) to (c) CBI has submitted its report on the matter. The report is being examined.

Fertilizer units covered under Retention-cum-Subsidy Scheme

1097. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the following details in respect of the fertilizer units covered under eht Retention-*cum*-subsidy scheme, unit wise; (i) the current retention price and the date on which it was fixed, (ii) when its retention price is to be fixed next; (iii) the maximum sale price for each fertilizer to the farmer;